न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 51/2025

अनवान : —

1. फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट साकिन जनाणा तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

2 मांगेराम पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन जनाणा तहसील भादरा।

:—प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89,136 आरटी एक्ट
उपस्थिति :—श्री विकेश राहड़ वादी
राजपैरोकार प्रतिवादी 1
सलमान खान प्रतिवादी 2

निर्णय दिनांक: 18·08·2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमआरएन के खाता संख्या 71/65 के मुरब्बा नम्बर 12 के कुल किता 24 की 5.0600 है0 जिसमें 5.0080 है0 नहरी व 0.0520 है0 गै0मु0 रास्ता की कृषि भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी के नाम 42/253 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर अशुद्ध नाम फुलसिंह पुत्र कुरड़ा दर्ज है जो कि सही नहीं है, सही नाम करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 की और से जवाब पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब रिपोर्ट पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:36 IST
Reason: Self Attested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा 1 एमआरएन के खाता संख्या 71/65 के मुरब्बा नम्बर 12 के कुल किता 24 की 5.0600 है0 जिसमें 5.0080 है0 नहरी व 0.0520 है0 गै0मु0 रास्ता की कृषि भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी के नाम 42/253 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी संख्या का सही नाम फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर अशुद्ध नाम फुलसिंह पुत्र कुरड़ा दर्ज है, अतः प्रार्थी का फुलसिंह पुत्र कुरड़ा के स्थान पर फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीगण अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 1 एमआरएन के खाता संख्या 71/65 के मुरब्बा नम्बर 12 के कुल किता 24 की 5.0600 है0 जिसमें 5.0080 है0 नहरी व 0.0520 है0 गै0मु0 रास्ता की कृषि भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी के नाम 42/253 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम फुलसिंह पुत्र कुरड़ा के स्थान पर फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि फुलसिंह पुत्र कुंरड़ा के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम फुलसिंह पुत्र कुरड़ा ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0न0 – 51/2025

नवान : –

1. फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट साकिन जनाणा तहसील भादरा।

:—वादी

वनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

2 मांगेराम पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन जनाणा तहसील भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विकेश राहड़ व वकील प्रतिवादी श्री सलमान खान व राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 1 एमआरएन के खाता संख्या 71/65 के मुरब्बा नम्बर 12 के कुल किता 24 की 5.0600 है0 जिसमें 5.0080 है0 नहरी व 0.0520 है0 गै0मु0 रास्ता की कृषि भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी के नाम 42/253 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम फुलसिंह पुत्र कुरड़ा के स्थान पर फुलाराम पुत्र कुरड़ाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि फुलसिंह पुत्र कुरड़ा के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम फुलसिंह पुत्र कुरड़ा ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें।यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:36 IST
Reason: SelfAttested